

गुजराती द्वासा विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की अति आवश्यक बैठक दिनांक 11.09.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की अति आवश्यक बैठक दिनांक 11.09.2019 को सायं 05:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
4.	प्रो० छी.एस. राठौर	सदस्य
5.	प्रो० मनीष ढुबे	सदस्य
6.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
7.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
9.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
10.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
11.	श्री सूरज कुमार भेहर, कुलसचिव (प्रभारी)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

- 01 प्रो० छी.डी. रंगारी
- 02 प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव
- 03 प्रो० पी.के. बाजपेयी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 आचार्य एवं सह-आचार्य पदों के साक्षात्कार में अंक विभाजन के निर्धारण पर विचार करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 में वर्णित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य एवं सह-आचार्य पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किये जा रहे हैं। इन पदों के साक्षात्कार के दौरान अंकों का विभाजन किस प्रकार किया जाना है तथा अंक निर्धारण में किन-किन घटकों को शामिल किया जाना है इसके निर्धारण हेतु बैठक में विचार किया गया।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आचार्य एवं सह-आचार्य पदों के लिए साक्षात्कार के दौरान अंकों का विभाजन निम्नानुसार किया जाय :-

Total points scored will be calculated as per the Table 2 as given in the UGC Regulations 2018. Then the effective marks as weightage will be calculated as follows

(Total Points Scored – Minimum Required Academic/Research Points)

50

(subject to a maximum of 50 marks)

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


11-09-2019
कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव


11-09-2019
कुलपति / अध्यक्ष